

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

भोपाल, दिनांक 10/5/2018

क्रमांक- 936/204/आउशि/बजट/2018
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक "7135-नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक "7135-नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	महावि. का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आवंटित राशि	सेगमेंट कोड	रिमार्क
1	शा.महावि.शाहगंज जिला सीहोर	179/11.4.18	1,50,000	0101	
			1,00,000	0102	
2	शा.महावि.सेमरिया जिला रीवा	1037/2.5.18	2,00,000	0101	
3	शा.महावि.राहतगढ़ जिला सागर	67/28.4.18	2,25,000	0101	
			1,25,000	0103	
4	शा.महावि.बड़वारा जिला कटनी	468/10.04.18	3,00,000	0101	गतवर्ष के लंबित भुगतान हेतु
कुल योग			11,00,000		

(2) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

44-2202-03-103-0101-7135-42-004	-उच्च शिक्षा सामान्य
44-2202-03-103-0102-7135-42-004	-आदिवासी उपयोजना-सब प्लान
44-2202-03-103-0103-7135-42-004	-अनुसूचित जाति उपयोजना-सब प्लान


(3) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

- (6) नवीन संकाय के संचालन हेतु प्राथमिक आवश्यकता अनुसार सामग्री का क्रय/व्यय किया जावे। मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (7) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- (8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 10/5/2018

पृ0क0-937 / 204/आउशि/बजट/2018
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
5. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
...की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश